के. संजय मूर्ति, भा.प्र.से. सचिव

K. SANJAY MURTHY, IAS Secretary

Tel. : 011-23386451, 23382698

Fax: 011-23385807 E-mail: secy.dhe@nic.in





भारत सरकार Government of India शिक्षा मंत्रालय Ministry of Education उच्चतर शिक्षा विभाग

Department of Higher Education 127 'सी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली—110 001 127 'C' Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110 001

> D.O. No. 8-4/2017-TEL Dated: 24<sup>th</sup> May, 2022

Sear Anilje,

This is with reference to a communication (D.O. No. 22003/09/2018-CIS-II dated 31<sup>st</sup> March, 2022) received from Hon'ble Home Minister and Cooperation Minister, Government of India, Ministry of Home Affairs regarding Awareness to deal with Cyber Crime with an effective mechanism and organizing the 'Cyber Jagrookta Diwas' for sensitizing School/College Students in Municipalities and Panchayats".

- 2. Cyber space is a complex and dynamic environment of interaction among people, software, services using distribution of information over world wide networks. There is a rising trend of sophisticated Cyber crimes against unsuspecting citizens and hence it is necessary to be equipped or aware of possible malpractices to not to be a victim of these.
- 3. The Ministry of Home Affairs decided to observe the 1<sup>st</sup> Wednesday of every month as "Cyber Jaagrookta Diwas (CJD)" and launched National Cyber Crime Reporting Portal (https://cybercrime.gov.in/). On the same line, the Ministry of Education conducted webinar sessions as "Cyber Jaagrookta Diwas (CJD)" on 4-May-2022 with audiences from institutions like Central Universities, IITs, IITs, IIMs, NITs etc.
- 4. In order to sensitize about cyber crimes and preventive measures, it is desired that AICTE may write to all the technical institutions in the country to observe "Cyber Jaagrookta Diwas" on first Wednesday of every month by arranging the following activities such as:
  - Conducting institutions level cyber awareness session on suggested themes
    - 1. Cyber Crime & Safety
    - 2. Concept and use of Cyber Hygiene in daily life
    - 3. Introduction to Social Networks
    - 4. Electronics Payment & Safeguards
  - Putting up awareness/publicity posters/banner in premises (Illustrative posters are attached for reference)
  - Ask students to follow 'Cyber Dost' on Twitter, Facebook, Instagram etc.
- 5. We also look forward to any inputs and feedback that you may have towards creating more awareness regarding Cyber security & related aspects as desired by MHA.

hithregards.

Yours Sincerely,

(K Sanjay Murthy)

Prof . Anil Sahasrabudhe Chairman, AICTE

## अमित शाह **AMIT SHAH**



#### गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार HOME MINISTER AND COOPERATION MINISTER GOVERNMENT OF INDIA

D.O. No.: 22003/09/2018-CIS-II

Dated: 3 March, 2022

Sech (HE) &

#### Shri Dharmendra Pradhan Ji,

I would like to draw your attention to the borderless, complex and dynamic nature of the cyberspace. With the increased use of cyber space, the number of cyber crimes is also increasing. As per the Seventh Schedule to the Constitution of India, "Police" and "Public Order" are State Subjects and the States/UTs are competent to deal with cyber crimes. However, the Central Government provides assistance to the State Governments through various advisories and schemes.

- 2. You will be glad to know that the Ministry of Home Affairs has implemented the "Indian Cyber Crime Coordination Center (I4C)" scheme with the objective of providing an effective mechanism to deal with cyber crime in a coordinated and comprehensive manner. Under this, "National Cyber Crime Reporting Portal" www.cybercrime.gov.in has been launched for reporting all types of cyber crimes, especially cyber crimes against women and children. The incidents reported in the portal are automatically forwarded online to the State/UT concerned. So far, more than 7.6 crore people have visited the portal and more than 8.5 lakh cyber crime incidents and 16,573 FIRs have been registered.
- The Ministry of Home Affairs has operationalized the "Citizen 3. Financial Cyber Fraud Online Reporting and Management System (CFCFRMS)" for quick reporting of online financial frauds and the States/ UTs/ Banks/ Intermediaries have been connected to it. So far, more than Rs. 51 crore has been saved. In order to register complaints in this system, a National Toll-Free Helpline Number '1930' has been made operational. The Central Government has taken several steps to spread awareness on the prevention of cyber crime which are attached as an Annexure.

Contd...Page/2.

Office: Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi-110001 Tel.: 23092462, 23094686, Fax: 23094221

E-mail: hm@nic.in

4. Your cooperation is expected in the fight against cyber crime. Therefore, you are requested to make the public in your constituency aware of the steps taken by this Ministry to deal with cyber crime; especially about the National Cyber Crime Reporting Portal, the National Helpline No: 1930. They may be encouraged to follow the presence of I4C on social media, i.e., Twitter handle (@Cyberdost), Facebook (/CyberDostI4C), Instagram (cyberdostI4C), Telegram (cyberdostI4c) and contribute to dissemination of cyber security tips. I would also request you to provide your valuable inputs and feedback in organizing the 'Cyber Jagrookta Diwas' for sensitizing school/college students in municipalities and panchayats. I would like to assure you of the continued support and cooperation of the Ministry of Home Affairs in this collective effort in the fight against cyber crime.

With regards,

Yours,

(AMIT SHAH)

Shri Dharmendra Pradhan,
Minister of Education;
and Skill Development and Entrepreneurship,
Government of India, New Delhi

# Steps taken by the Central Government to spread awareness on prevention of cyber crime

- i. MHA's has launched '@CyberDost' twitter handle to spread awareness on cybercrime prevention and tweeted over 1066 cyber safety tips through short videos, images and creatives. It has more than 3.64 lakh followers.
- ii. Radio campaign.
- iii. Sent more than 100 crore SMSs on cybercrime awareness to public.
- iv. Publicity at regular interval on prevention of cyber crime and cyber safety tips through various Videos/GIFs initiated on various platforms as under:

Twitter	https://twitter.com/Cyberdost
Facebook	https://www.facebook.com/CyberDostI4C
Instagram	https://www.instagram.com/cyberdosti4c
Telegram	https://t.me/cyberdosti4c

- v. MyGov has been engaged by the I4C for the publicity on the topic of prevention of cyber crimes through multiple mediums.
- vi. Published 'Handbook for adolescents/students on cyber safety'.
- vii. Published 'Information Security Best practices' for the benefit of Government Officials.
- viii. Organized of Cyber Safety and Security Awareness weeks through the C-DAC in association with Police Department in different States.
- ix. 148 Cyber Crimes Advisories have been shared by the I4C with States/UTs, Ministries/Departments as a preventive measure.
- x. Issued alerts/advisories to States/UTs from time to time.
- xi. Delhi Metro has been requested to publicize the National Cyber Crime Reporting Portal and National Toll-Free Helpline Number '1930'.
- xii. Two bilingual Manuals on "Cyber Hygiene for Cyber Space Do's and Don'ts" (Basic and Advanced version) released in January, 2022 to provide basic cyber hygiene regarding internet safety, email, mobile safety, etc.
- xiii. States/UTs have been requested by the MHA to organize "Cyber Jaagrookta Diwas" on first Wednesday of every month at 11 am on cyber hygiene commencing from 6<sup>th</sup> October 2021 (Wednesday) onwards and launch mass awareness campaign in vernacular languages for all schools/colleges. Also requested to prepare 'Annual Action Plan' in this regard.
- xiv. The Ministry of Education has been requested to commence Curriculum in cyber security and cyber hygiene from 6<sup>th</sup> to 12<sup>th</sup> standards for all the streams, so as to provide basic awareness to all students in schools for all CBSE schools at Central/State/UT level.
- xv. Quarterly Newsletter of I4C (1<sup>st</sup> and 2<sup>nd</sup> Edition) launched in January, 2022 to share information to counter the menace of cyber crime to Law Enforcement Agencies and Policymakers. The Newsletter comprises of latest cyber crimes trends, cyber crime statistics, National/International developments relating to prevention of cyber crimes, etc.

\*\*



### गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार

अ.शा.पत्र सं. 22003/09/2018-सीआईएस-॥ दिनांक: 3) मार्च, 2022

### श्री धर्मेंद्र प्रधान जी,

मैं, आपका ध्यान साइबर स्पेस की सीमाहीनता, जटिलता और गतिशीलता की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। साइबर स्पेस के अत्यधिक उपयोग के साथ-साथ, साइबर अपराधों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र साइबर अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं तथापि, केन्द्र सरकार साइबर अपराधों से समग्र रूप से निपटने के लिए विभिन्न परामर्श पत्रों और योजनाओं के द्वारा राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती है।

- 2. आपको यह जानकर हर्ष होगा कि गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए एक प्रभावी तंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी)" योजना को कार्यान्वित किया है। इसके अंतर्गत, सभी प्रकार के साइबर अपराधों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध, की रिपोर्टिंग हेतु "राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल" www.cybercrime.gov.in को लॉन्च किया है। पोर्टल में दर्ज शिकायतें स्वचालित रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को ऑनलाइन अग्रेषित हो जाती हैं। अभी तक, लगभग 7.6 करोड़ से अधिक लोग पोर्टल पर विजिट कर चुके हैं तथा 8.5 लाख से अधिक शिकायतें और 16,573 एफ़आईआर दर्ज की गई हैं।
- 3. गृह मंत्रालय ने निरंतर बढ़ती ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की त्वरित रिपोर्टिंग के लिए "नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी ऑनलाइन रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली (CFCFRMS)" संचालित की है और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों एवं बैंक/इंटरमीडियरी को इससे जोड़ा है। अभी तक, 51 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को अपराधियों से बचाया जा चुका है। इस व्यवस्था में शिकायत दर्ज करने के लिए, राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर '1930' शुरू किया गया है। साइबर अपराध की रोकथाम विषय पर जागरूकता फैलाने के लिए केंद्र सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं, जो कि अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

जारी... पृष्ठ/2.

कार्यालय : गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110001 दूरभाष : 23092462, 23094686, फैक्स : 23094221

ई-मेल : hm@nic.in

4. साइबर अपराध के खिलाफ इस लड़ाई में आपका सहयोग अपेक्षित है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता को, गृह मंत्रालय द्वारा साइबर अपराध से निपटने के लिए उठाये गए कदमों; विशेषकर राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर:1930 की जानकारी दें, आई4सी अकाउंट द्विटर हैंडल (@Cyberdost), फेसबुक (/CyberDostI4C), इंस्टाग्राम (cyberdostI4C), टेलीग्राम (cyberdosti4c) से जुड़ने और उन पर उपलब्ध साइबर सुरक्षा टिप्स के प्रचार एवं प्रसार के लिए प्रोत्साहित करें। राज्य स्तर पर नगरपालिका और पंचायत क्षेत्रों में स्कूल/कॉलेज के विद्यार्थियों को जागरूक करने हेतु 'साइबर जागरूकता दिवस' के आयोजन में मार्गदर्शन प्रदान करें। मैं आपको साइबर अपराध के विरुद्ध इस सामूहिक प्रयास में गृह मंत्रालय के निरंतर समर्थन और सहयोग का आश्वासन देना चाहता हूँ।

सादर,

श्री धर्मेंद्र प्रधान,

शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली

#### साइबर अपराध रोकथाम विषय पर जागरूकता फैलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाये गए कदम

- i. साइबर अपराध रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा '@CyberDost' ट्विटर हैंडल लॉन्च किया गया है जिस पर अभी तक लघु वीडियो, छवियों और रचनात्मक चीज़ों के माध्यम से 1066 से अधिक साइबर सुरक्षा टिप्स साझा किए गए हैं। इसके 3.64 लाख से अधिक फॉलोवर हैं।
- ii. रेडियो अभियान।
- iii. जनता को साइबर अपराध जागरूकता के बारे में 100 करोड़ से अधिक एसएमएस भेजे।
- iv. साइबर अपराध रोकथाम और साइबर सुरक्षा टिप्स के बारे में निम्नलिखित मंचों पर वीडियो/जीआईएफ के माध्यम से नियमित अंतराल पर प्रचार शुरू किया गया:

द्विटर	https://twitter.com/Cyberdost
फेसबुक	https://www.facebook.com/CyberDostI4C
इंस्टाग्राम	https://www.instagram.com/cyberdosti4c
टेलीग्राम	https://t.me/cyberdosti4c

- v. आई4सी द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम के उद्देश्य से विभिन्न माध्यमों से प्रचार के लिए MyGov से अनुबंध किया गया है।
- vi. साइबर सुरक्षा विषय पर किशोर/छात्रों के लिए हैंडबुक प्रकाशित की गई।
- vii. सरकारी अधिकारियों के लाभ के लिए 'सूचना सुरक्षा सर्वोत्तम पद्धतियां' प्रकाशित की गई।
- viii. विभिन्न राज्यों में पुलिस विभाग के सहयोग से सी-डैक के माध्यम से साइबर सुरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया।
- ix. आई4सी द्वारा निवारक उपाय के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, मंत्रालयों/विभागों के साथ 148 साइबर अपराध परामर्श साझा किए गए हैं।
- x. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर चेतावनी/सलाह जारी की।
- xi. दिल्ली मेट्रो से राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर '1930' का प्रचार-प्रसार करने का अनुरोध किया गया है।
- xii. इंटरनेट सुरक्षा, ईमेल, मोबाइल सुरक्षा आदि के संबंध में बुनियादी साइबर स्वच्छता प्रदान करने के लिए जनवरी, 2022 में "साइबर स्पेस के लिए साइबर स्वच्छता - क्या करें और क्या न करें" (मूल और उन्नत संस्करण) पर दो द्विभाषी मैनुअल जारी की गईं।
- xiii. गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से साइबर स्वच्छता विषय पर 6 अक्टूबर, 2021 (बुधवार) से शुरूआत करते हुए हर महीने के पहले बुधवार को सुबह 11 बजे "साइबर जागरूकता दिवस" आयोजित करने और सभी स्कूलों और कॉलेजों के लिए स्थानीय भाषाओं में जन जागरूकता शुरू करने और इस संबंध में 'वार्षिक कार्रवाई योजना' तैयार करने का अनुरोध किया है।
- xiv. शिक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि 6वीं से 12वीं कक्षा तक सभी स्ट्रीम्स के लिए साइबर सुरक्षा और साइबर स्वच्छता में पाठ्यक्रम शुरू किया जाए ताकि केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर सभी सीबीएसई स्कूलों में सभी छात्रों को बुनियादी जानकारी दी जा सके।
- xv. आई4सी का त्रैमासिक न्यूज़लेटर (पहला और दूसरा संस्करण) जनवरी, 2022 में लॉन्च किया गया ताकि विधि प्रवर्तन एजेंसियों और नीति निर्माताओं को साइबर अपराध के खतरे का मुकाबला करने के लिए जानकारी साझा की जा सके। इस न्यूज़लेटर में नवीनतम साइबर अपराध प्रवृत्तियां, साइबर अपराध आंकड़े, साइबर अपराधों की रोकथाम से संबंधित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं आदि शामिल हैं।

#### साइबर अपराध रोकथाम विषय पर जागरूकता फैलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाये गए कदम

- i. साइबर अपराध रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा '@CyberDost' ट्विटर हैंडल लॉन्च किया गया है जिस पर अभी तक लघु वीडियो, छवियों और रचनात्मक चीज़ों के माध्यम से 1066 से अधिक साइबर सुरक्षा टिप्स साझा किए गए हैं। इसके 3.64 लाख से अधिक फॉलोवर हैं।
- ii. रेडियो अभियान।
- iii. जनता को साइबर अपराध जागरूकता के बारे में 100 करोड़ से अधिक एसएमएस भेजे।
- iv. साइबर अपराध रोकथाम और साइबर सुरक्षा टिप्स के बारे में निम्नलिखित मंचों पर वीडियो/जीआईएफ के माध्यम से नियमित अंतराल पर प्रचार शुरू किया गया:

द्विटर	https://twitter.com/Cyberdost
फेसबुक	https://www.facebook.com/CyberDostI4C
इंस्टाग्राम	https://www.instagram.com/cyberdosti4c
टेलीग्राम	https://t.me/cyberdosti4c

- v. आई4सी द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम के उद्देश्य से विभिन्न माध्यमों से प्रचार के लिए MyGov से अनुबंध किया गया है।
- vi. साइबर सुरक्षा विषय पर किशोर/छात्रों के लिए हैंडबुक प्रकाशित की गई।
- vii. सरकारी अधिकारियों के लाभ के लिए 'सूचना सुरक्षा सर्वोत्तम पद्धतियां' प्रकाशित की गई।
- viii. विभिन्न राज्यों में पुलिस विभाग के सहयोग से सी-डैक के माध्यम से साइबर सुरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया।
- ix. आई4सी द्वारा निवारक उपाय के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, मंत्रालयों/विभागों के साथ 148 साइबर अपराध परामर्श साझा किए गए हैं।
- x. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर चेतावनी/सलाह जारी की।
- xi. दिल्ली मेट्रो से राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर '1930' का प्रचार-प्रसार करने का अनुरोध किया गया है।
- xii. इंटरनेट सुरक्षा, ईमेल, मोबाइल सुरक्षा आदि के संबंध में बुनियादी साइबर स्वच्छता प्रदान करने के लिए जनवरी, 2022 में "साइबर स्पेस के लिए साइबर स्वच्छता क्या करें और क्या न करें" (मूल और उन्नत संस्करण) पर दो द्विभाषी मैनुअल जारी की गईं।
- xiii. गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से साइबर स्वच्छता विषय पर 6 अक्टूबर, 2021 (बुधवार) से शुरूआत करते हुए हर महीने के पहले बुधवार को सुबह 11 बजे "साइबर जागरूकता दिवस" आयोजित करने और सभी स्कूलों और कॉलेजों के लिए स्थानीय भाषाओं में जन जागरूकता शुरू करने और इस संबंध में 'वार्षिक कार्रवाई योजना' तैयार करने का अनुरोध किया है।
- xiv. शिक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि 6वीं से 12वीं कक्षा तक सभी स्ट्रीम्स के लिए साइबर सुरक्षा और साइबर स्वच्छता में पाठ्यक्रम शुरू किया जाए ताकि केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर सभी सीबीएसई स्कूलों में सभी छात्रों को बुनियादी जानकारी दी जा सके।
- xv. आई4सी का त्रैमासिक न्यूज़लेटर (पहला और दूसरा संस्करण) जनवरी, 2022 में लॉन्च किया गया ताकि विधि प्रवर्तन एजेंसियों और नीति निर्माताओं को साइबर अपराध के खतरे का मुकाबला करने के लिए जानकारी साझा की जा सके। इस न्यूजलेटर में नवीनतम साइबर अपराध प्रवृत्तियां, साइबर अपराध आंकड़े, साइबर अपराधों की रोकथाम से संबंधित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं आदि शामिल हैं।